

## ऑपरेशन मेघ चक्र

### प्रलिस के लयः

मेघ चक्र, चाइलड पोर्नोग्राफी, प्रोटेक्शन ऑफ चल्ड्रन अर्गेसुट सेकसुअल ऑफेंसेज़ एक्ट 2012 (पॉक्सो-अधनयऱड) ।

### मेन्स के लयः

बाल यौन शोषण से संबंघतऱ डुदुे और नवलरक उपाय / पहल ।

## चर्चा में क्यौं?

एक ऑपरेशन जसका कोड-नाम "मेघ चक्र" है, न्यूज़ीलैंड के अधकऱरयऱं से प्रापुत जानकऱरी के आधऱर पर इंटरपोल की सगऱपुर वशऱष इकाई से प्रापुत जानकऱरी के बाद चलाया जा रहा है ।

- यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसे साझा करने के खलऱफ [केंद्रीय जांच बयुरो \(CBI\)](#) दवऱरा संचालतऱ एक अखलऱ भारतीय अभयऱन है ।

## ऑपरेशन मेघ चक्र के प्रडुख बडुः

- 20 राज्यौं और एक केंदुरशासतऱ प्रदेश में 59 स्थऱनों पर तलाशी ली गई ।
- यह आरोप लगाया गया है कऱबऱडी संख्यऱ में भारतीय नागरकऱ कलाउड-आधऱरतऱ भंडऱरण का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के ऑनलाइन संचलन , डाउनलोडगऱ और प्रसारण में शामिल थे ।
- इस ऑपरेशन का उदुदेश्य भारत में वभऱनऱन कऱनून प्रवुरतन एर्जेसयऱं से जानकऱरी एकतुर करना, वैश्वकऱ स्तर पर संबंघतऱ कऱनून प्रवुरतन एर्जेसयऱं के साथ जुडना और इस डुदुे पर इंटरपोल चैनलौं के माधुडड से नकऱटता से समनवुय करना है ।
- जांच में 500 से अधकऱ समूहौं की पहचऱन की गई थी, जऱनऱमें 5000 से अधकऱ अपराधी और लगभग 100 देशौं के नागरकऱ भी शामिल थे ।
- नवंबर 2021 में CBI दवऱरा "ऑपरेशन कार्बन" नामक ऐसे ही एक अभुयऱस कोड का संचालन कयऱा गया था ।

## बाल यौन शोषण से जुडे डुदुे:

- बहुसतरीय समसुयऱ:** बाल यौन शोषण एक बहुसतरीय समसुयऱ है जो बच्चौं की शऱरीरकऱ सुरकषऱ, डऱनसकऱ सवऱसुथुय, कलुयऱण और वुयवहार संबंघी पहलुओं को नकऱरऱतडडक रूप से प्रभावतऱ करतऱ है ।
- डजऱटऱल प्रौदुयुगकऱरऱं के कारण प्रवुरधन: डुडऱइल और डजऱटऱल प्रौदुयुगकऱरऱं ने बाल शोषण एवं दुरवुयवहार को और बडुा दयऱा है । ऑनलाइन शऱरऱत, उतुपीडन तथऱ [चाइलड पोर्नोग्राफी](#) जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं ।
- अप्रभऱवी कऱनून:** हालौंकऱ भारत सरकऱर ने [यौन अपराधौं के खलऱफ बच्चौं का संरकषण अधनऱयऱड 2012 \(POCSO अधनऱयऱड\)](#) बनाया है, लेकनऱ यह बच्चौं को यौन शोषण से बचऱने में वफऱल रही है । इसके नडऱनलखऱतऱ कारण हो सकते हैं:
  - कड सजऱ दर:** वगऱत 5 वरुषौं के औसत को देखें तो लंबतऱ डऱडलौं की संख्यऱ 90% है, इस प्रकरऱर [POCSO अधनऱयऱड](#) के तहत दुषसदऱधऱ की दर केवल 32% है ।
  - नूयऱडकऱ वलऱंब:** कडुआ बलातुकर डऱडले में डुखुय आरोपी को दुषी ठहरऱने में 16 डुहीने लग गए, जबकऱ पौकसुओ अधनऱयऱड में स्पुषुट रूप से उल्लेख कयऱा गया है कऱपूरी सुनवाई और दुषसदऱधऱ की प्रकरऱयऱ एक साल में पूरी की जानऱ है ।
  - बच्चुे के लयऱे प्रतकुऱल:** बच्चुे की आयु-नरऱधऱरण से संबंघतऱ चुनौतऱयऱं । वशऱष रूप से ऐसे कऱनून जो जैवकऱ उडुुर पर धुयऱन केंदुरतऱ करते हैं, न कऱ डऱनसकऱ उडुुर पर ।

## यौन अपराधौं से बच्चौं का संरकषण अधनऱयऱड, 2012:

- यह बच्चौं के हतऱं की रकषऱ और डुडऱई के लयऱे बच्चौं को यौन उतुपीडन, दुरवुयऱवहार एवं अशुलील साहतऱय के अपराधौं से बचऱने के लयऱे

अधिनियमिति कया गया था ।

- यह अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परभाषति करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हति तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है ।
- यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परभाषति करता है, जसमें भेदक और गैर-मर्मज्ज हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं ।
- ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन आक्रमण बढ़ गए हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा कया जाता है ।
- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है ।
- अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का नपिटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर कया जाना चाहिये ।
- अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मृत्यु दंड सहति कठोर सज़ा देने के लिये इसमें संशोधन कया गया था ।

## संबंधति संवैधानिक प्रावधान:

- संवधान प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), नजिता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव (अनुच्छेद 15) और शोषण के वरिद्ध (अनुच्छेद 23 व 24) अधिकार की गारंटी प्रदान करता है ।
  - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A) ।
- राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (F) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व आरोपति करता है कि बच्चों को समग्र तरीके से स्वतंत्रता और गरमापूरण स्थिति में वकिसति होने के अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तथा बचपन व युवावस्था में शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परतियाग के वरिद्ध संरक्षण प्रदान कया जाए ।

## संबंधति पहलें:

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- कशिर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- बाल विवाह प्रतषिध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम नषिध एवं वनियमन अधिनियम, 2016

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

भारत के संवधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा नमिनलखिति में से कसिकी परकिलपना की गई है? (2017)

1. मानव तस्करी और बलात् श्रम का नषिध
2. असपृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हतियों की रक्षा
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नयिोजन पर रोक

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- संवधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधति हैं ।
- अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है । इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी एवं बेगार तथा इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम नषिदिध हैं, इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा । अतः कथन 1 सही है ।
- अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नयिोजन पर रोक लगाने का प्रावधान है । इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा । अतः कथन 4 सही है ।

अतः वकिलप (c) सही है ।

[स्रोत: द ह्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/megh-chakra-operation>

